न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

मु.नं.:– 20/21

मघाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी इनपालसर बडा तहसील डूंगरगढ जिला बीकानेर

........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

..........अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24-8-2021

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 475, 516 तादादी क्रमशः 4.5021, 0.7588 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.2609 हेक्टेयर भूमि वर्तमान खाता संख्या 46 वाके रोही ग्राम रावली ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस खाता भूमि में प्रार्थी का नाम मालाराम पुत्र पेमाराम दर्ज है। जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम मघाराम पुत्र पेमाराम है। प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजों में मेरा नाम मघाराम पुत्र पेमाराम अंकित है। मालाराम मेरा बोलता नाम है जबकि मघाराम मेरा दस्तावेजी नाम है। राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम मालाराम व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मघाराम होने से मुझे बैंक ऋण लेने में परेशानी हो रही है। प्रार्थी ने दिनांक 1.8.2021 को अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया कि रोही ग्राम रावली ढाणी के वर्तमान खाता संख्या 46 में मेरा नाम मालाराम की जगह मघाराम किया जावे। इस पर अप्रार्थी ने इस प्रकार से राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम मालाराम की जगह मघाराम का संशोधन कराये। राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम रावली ढाणी तहसील बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम शुद्वि में कोई राजहित नहीं होना बताया है और ना ही किसी प्रकार की आपति की। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम रावली ढाणी के वर्तमान खाता संख्या 46 खसरा संख्या 475, 516 तादादी क्रमशः 4.5021, 0.7588 हेक्टेयर कुल तादादी 5.2609 हेक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम मालाराम पुत्र पेमाराम को संशोधित किया जाकर मघाराम पुत्र पेमाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-8-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner